

बिहार गजट

समाचार्य अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 फीब्रुअरी 1927 (श०)

(सं० पटना 20)

पटना, सोमवार, 9 जनवरी 2006

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

30 नवम्बर 2005

संख्या 31अप्रार 1-4612000-2492—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, वाहन चालक के पदों पर भर्ती और प्रोन्नति का आधार एवं प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :—

बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2005

अध्याय 1 : प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :—(1) यह नियमावली बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2005 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, सलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफ्तसिल कार्यालयों तक रहेगा।
(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएं :—इस नियमावली में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हों—
 - (क) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;
 - (ख) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ;
 - (ग) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है नियम 7 के अन्तर्गत प्राधिकृत प्राधिकार ;
 - (घ) 'कोटि' से अभिप्रेत है नियम 3 के अन्तर्गत निर्धारित कोटि ;
 - (ङ) 'मेधा सूची' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची।

अध्याय 2 : पदाकोटि

3. वाहन चालक के पदाकोटि।—(1) विभिन्न वेतनमानों में वाहन चालक के पदों का नामकरण निम्नानुसार होगा :—

- | | | | |
|-------|---------------|----|------------------------|
| (i) | 3050—4590 रु० | .. | वाहन चालक (साधारणकोटि) |
| (ii) | 4000—6000 रु० | .. | वाहन चालक (कोटि-II) |
| (iii) | 4500—7000 रु० | .. | वाहन चालक (कोटि-I) |

(2) विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या निम्नांकित अनुपात में रखी जायेगी :—

- | | | | |
|-------|-----------------------------|----|------------|
| (i) | साधारण कोटि (3050—4590 रु०) | .. | 55 प्रतिशत |
| (ii) | कोटि-II (4000—6000 रु०) | .. | 25 प्रतिशत |
| (iii) | कोटि-I (4500—7000 रु०) | .. | 20 प्रतिशत |

(3) उपर्युक्त रूप में अनुपात निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ वाहन चालकों के पदों की कम संख्या को ध्यान में रखते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभागों/संलग्न कार्यालयों को आवश्यकतानुसार समूहों में बांटेकर प्रत्येक समूह के लिए एक नोडल विभाग घोषित किया जायगा। इसी प्रकार प्रत्येक प्रमंडल के मुफ्तिसल कार्यालय के लिये नोडल पदाधिकारी संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त रहेंगे।

(4) विभागों/संलग्न कार्यालयों के वाहन चालकों की प्रोन्नति उप-नियम (3) में अंकित प्रत्येक विभाग के समूह के लिये निर्धारित बरीयतानुसार नोडल विभाग द्वारा ही विचारित होगी। मुफ्तिसल वाहन चालकों की प्रोन्नति प्रत्येक प्रमंडलवार निर्धारित बरीयतानुसार नोडल पदाधिकारी द्वारा विचारित होगी।

- (5) भर्ती/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।
 (6) वाहन चालक के पद समूह "ग" के पद माने जायेंगे।

अध्याय 3: भर्ती

4. भर्ती।—(1) साधारण कोटि (3050—4590) के पदों को सीधी भर्ती द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा।

- (2) (i) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम उत्तीर्ण होगी।
 (ii) वाहन चालन का उन्हें वैध लाइसेंस प्राप्त रहना आवश्यक होगा।
 (iii) यातायात विनियमन की उन्हें अच्छी जानकारी रहना आवश्यक होगा।
 (iv) वाहन की उन्हें सामान्य जानकारी का रहना आवश्यक होगा।
 (v) उनका स्वस्थ रहना आवश्यक होगा।

(3) उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

(4) अर्हता के परीक्षण के लिये उम्मीदवारों को उप-नियम (2) पर आधारित वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी की जांच में सम्मिलित होना पड़ेगा जिसके लिये कुल प्राप्तांक 100 होगा। जांच परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी और उसी सूची के आधार पर आयोग संबंधित विभाग। कार्यालय को अनुशंसा कर सकेगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिये कोई अधिमानता नहीं दी जायगी।

(5) दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत वाहन चालकों को उप-नियम (2) में निर्धारित अर्हताओं के पूरा करने पर और उनके द्वारा आवेदन करने एवं जांच में सम्मिलित होने पर राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिये निर्धारित प्रक्रियानुसार अधिमानता दी जायेगी।

5. आरक्षण।—रिक्तियों का आकलन प्रत्येक वर्ष करने के पश्चात ही वास्तविक एवं संभावित रिक्तियों के अनुसार रोस्टर पंजी क्लियर कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को संबंधित नोडल विभाग/नोडल पदाधिकारी द्वारा भेजी जायगी।

6. मेधा सूची की वैधता।—आयोग द्वारा अनुशंसित मेधासूची की वैधता एक वर्ष तक ही रहेगी। आयोग द्वारा उतने ही उम्मीदवारों की अनुशंसा की जायेगी जितने के लिये अधियाचना प्राप्त हुई हो। प्रतीक्षा पैनल नहीं रहेगा। मेधासूची की वैधता वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगी।

7. नियुक्ति प्राधिकार।—अभियंत्रण/कार्य विभागों के लिये संबंधित अभियन्ता-प्रमुख नियुक्ति प्राधिकार होंगे। उनकी यह शक्ति किसी भी हालत में प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी। अन्य विभागों में विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव के अनुमोदन से उप-सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी। मुफ्तिसल कार्यालयों के सुदूर में नियुक्ति प्राधिकार अही पदाधिकारी रहेंगे जो पूर्व से नियुक्ति प्राधिकार घोषित हैं।

8. परीक्ष्यमान अवधिसंपुष्टि।—(1) नियुक्ति के बाद दो वर्षों तक परीक्ष्यमान अवधि रहेगी। परीक्ष्यमान अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने तथा संपुष्टि के लिये निर्धारित जांच में उत्तीर्ण होने पर सेवा में संपुष्टि किया जा सकेगा।

(2) जांच की व्यवस्था नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायगी। नियुक्ति के समय के लिये जो अर्हताएँ निर्धारित हैं उन्हीं बिन्दुओं पर सक्षमता की जांच होनी।

अध्याय 4: प्रोन्नति

9. प्रोन्नति।—(1) साधारण कोटि (3050—4590) से उच्चतर कोटियों में निम्नांकित रूप में प्रोन्नतियाँ की जा सकेंगी:—

(क) साधारण कोटि (3050—4590) से कोटि II (4000—6000) में।

(ख) कोटि-II (4000—6000) से कोटि I (4500—7000) में।

(2) कालावधि।—प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के सकल्प सं० 280 दिनांक 5 जुलाई, 2002 द्वारा निर्धारित तथा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित कालावधि के प्रावधान लागू होंगे।

(3) विभागीय प्रोन्नति समिति—सचिवालय स्तर पर विभाग समूहवार तथा मुफ्तिसल स्तर पर प्रमडलवार विभागीय प्रोन्नति समिति गठित होगी। सबधित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी।

(4) सचिवालय स्तर पर विभाग—समूहवार विभागीय प्रोन्नति समिति का अध्यक्ष विभागीय समूह के नोडल विभाग के विशेष सचिव अथवा वेतनमान रु० 14300—18300 से अत्युच्च वेतनमान वाला पदाधिकारी होगा। समिति में दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें से एक सबधित विभागीय समूह के प्रतिनिधि तथा दूसरा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि होगा।

(5) मुफ्तिसल स्तर पर प्रमडलवार विभागीय प्रोन्नति समिति का अध्यक्ष उस जिला का जिला पदाधिकारी होगा जिस जिला में प्रमडलीय कार्यालय अवस्थित है। समिति के दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें से एक प्रमडलीय आयुक्त का प्रतिनिधि और दूसरा अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि होगा।

(6) एक कोटि से दूसरी कोटि में प्रोन्नति पर विचार के लिए वाहन चालन की व्यावसायिक जांच (प्रायोगिक जांच सहित) की व्यवस्था की जायगी। प्रोन्नति हेतु अर्हता के लिये ऐसी जांच में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष ऐसी जांच का परिणाम रखा जायेगा।

अध्याय 5: प्रकीर्ण

10. अनुशासनिक कार्रवाई।—इस संवर्ग में अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के समूह "ब" (ग्रुप 'सी') कर्मियों के लिए तत्समय लागू नियम/अनुदेश प्रभावी होंगे।

11. विविध।—(1) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम/अनुदेश लागू होंगे।

(2) इस नियमावली के किसी भी नियम की व्याख्या करने के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सक्षम विभाग होगा।

(3) यदि इस नियमावली के किसी भी नियम को लागू करने में कठिनाई हो तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई का निराकरण बिहार राजपत्र में अधिसूचित करते हुए कर सकेगी।

12. निरसन।—वाहन चालकों की नियुक्ति/प्रोन्नति सबधी निर्णय सभी परिपत्र/अनुदेश निरसित समझे जायेंगे।

[31अप्रार 1-4612000]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रविकान्त,
सरकार के सचिव।

30 नवम्बर 2005

संख्या 31अप्रार 1-4612000—2493—अधिसूचना संख्या 2492, दिनांक 30 नवम्बर 2005 के तहत निर्गत बिहार सचिवालय/सलगन कार्यालय वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2005 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[31अप्रार 1-4612000]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रविकान्त,
सरकार के सचिव।

The 30th November 2005

No. 3/R1-46/2000-2492—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following Rules for determination of basis and procedure of appointment and promotion on the posts of Drivers namely—

BIHAR DRIVERS (Appointment and Service Conditions) RULES, 2005

CHAPTER 1: PRELIMINARY

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) These Rules may be called the Bihar Drivers (Appointment and Service Conditions) Rules, 2005.
(2) It extends to the Secretariat Departments, attached offices and mufasil offices at different levels of the State Government.
(3) It shall come into force at once.
2. *Definitions.*—In these Rules, unless the context otherwise requires—
(a) "State Government" means the State Government of Bihar ;
(b) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission ;
(c) "Appointing Authority" means the authority authorised under rule 7 ;
(d) "Grade" means the grade prescribed under rule 3 ;
(e) "Merit list" means the list of candidates recommended by the Bihar Staff Selection Commission.

CHAPTER 2 : POST/GRADE

3. *Post/Grade of Drivers.*—(1) The posts of Drivers in different pay scales shall be as follows :—
(i) Rs. 3050—4590 Driver (Basic Grade)
(ii) Rs. 4000—6000 Driver (Grade-II)
(iii) Rs. 4500—7000 Driver (Grade-I)
- (2) The number of posts in the different grades shall be in the following ratio
(i) Basic Grade (3050—4590) .. 55%
(ii) Grade-II (4000—6000) .. 25%
(iii) Grade-I (4500—7000) .. 20%
- (3) In order to fix ratio in the aforesaid manner, keeping in view the less number of posts of Drivers, the Personnel and Administrative Reforms Department shall divide the Departments/Attached offices into as many groups as necessary and a Nodal department shall be announced for each group. Likewise, the Divisional Commissioner concerned shall be the Nodal officer of mufasil offices of each division
- (4) The promotion of Drivers of Departments/Attached offices shall be considered by the Nodal Department on the basis of seniority determined for the group of departments as mentioned in sub-rule (3). The promotion of mufasil driver shall be considered by the Nodal officer on the basis of divisionwise seniority.
- (5) The provision regarding reservation determined by the State Government shall be applicable in recruitment/promotion.
- (6) The post of Drivers shall be deemed to be of Group-C.

CHAPTER 3 : RECRUITMENT

4. *Recruitment.*—(1) The posts of Basic grade (3050—4590) shall be filled up by direct recruitment on the basis of recommendation of the commission.
- (2) (i) The minimum educational qualification of the candidate shall be Eighth pass ;
(ii) It will be necessary for him to have a legal Driving Licence issued in his name of driving a four-wheeler.

- (iii) He must have good knowledge of traffic regulation ;
- (iv) He must have a general knowl.dg. of motor-car ;
- (v) He must be healthy.

(3) The minimum age of the candidates shall be eighteen years and the maximum age shall be such as fixed by the State Government from time to time.

(4) The candidates shall have to appear at the tests based on sub-rule (2) to be conducted for examination of their eligibility for which total marks shall be 100. The merit list shall be prepared on the basis of marks obtained in the tests and the commission may recommend to the concerned department/office on the basis of the said list. No weightage shall be given for higher educational qualification.

(5) The drivers working on daily wage fulfilling the eligibility prescribed in sub-rule (2), if apply and appear at the tests, shall be given weightage according to the procedure determined by the State Government for regularisation.

5. *Reservation.*—After estimating the vacancies each year and roasterc learance thereof according to actual and anticipated vacancies, the reservation category wise requisition shall be sent to the Commission by the concerned nodal department/nodal officer.

6. *Validity of Merit list.*—The validity of the recommended merit list shall be for one year. The Commission shall recommend such members of candidates only as are requisitioned. The waiting panel shall not be prepared. The validity of merit list shall expire with the end of financial year.

7. *Appointing Authority.*—The concerned Engineer-in-Chief shall be the Appointing Authority with respect to Engineering/Works Departments. His power shall not be delegated in any circumstance. In other departments, he appointment shall be made by an officer not below the rank of Deputy Secretary with the approval of Departmental Commissioner and Secretary/Secretary. In respect of mufasil offices, the appointing authority shall be the same officer who are already declared as Appointing Authority.

8. *Probation Period/Confirmation.*—(1) After appointment there shall be probation period of two years. The confirmation of service may be done after successful completion of probation period as well as passing of prescribed test for confirmation
(2) The test shall be arranged by the appointing authority. The eligibility prescribed for appointment shall from the basis of test of competence.

CHAPTER 4 : PROMOTION

9. *Promotion.*—(1) The promotion may be given from basic grade to higher grades in the following manner :—

- (a) From Basic Grades (3050—4590) to Grade II (4000—6000).
- (b) From Grade II (4000—6000) to Grade I (4500—7000).

(2) *Kalawadhi.*—For promotion the provisions of Kalawadhi determined by the State Government (Personnel and Administrative Reforms Department) Resolution no. 280, dated 5.7.2002 and as revised from time to time shall be applicable.

(3) *Departmental Promotion Committee.*—At Secretariat level group of department-wise and at mufasil level divisionwise Departmental Promotion Committee shall be constituted. The promotion shall be considered on the recommendation of the concerned Departmental Promotion Committee.

(4) At secretariat level, group of departmentwise, a Special Secretary or an officer of not below the scale of Rs. 14300-18300 of the nodal department of the concerned group of departments shall be the Chairman of the Departmental Promotion Committee. The Committee shall have two other members one of whom shall be the

representative of another department of the concerned group of departments and the other of Scheduled Castes/Tribes nominated by the Personnel and Administrative Reforms Department.

(5) At Muffasil level, the District Magistrate of the District in which the Divisional office is situate, shall be the Chairman of the Divisionwise Departmental Promotion Committee. The Committee shall have two other members one of whom shall be representative of Divisional commissioner and the other shall be the representative of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

(6) For considering promotion from one grade to another a Trade test for competence (including a practical test) in driving shall be arranged. Passing of such test shall be essential for being qualified for promotion and the result of such test shall be placed before the Departmental Promotion Committee.

CHAPTER 5 : MISCELLANEOUS

10. *Disciplinary Action.*—For the purpose of disciplinary action in this cadre, the Rules/instructions, for the time being in force, for Group 'C' employees of the State Government, shall be applicable.

11. *Miscellaneous.*—(1) With respect to the subjects or points which are not provided in these Rules, the Rules/Instructions, for the time being in force, for the employees of the State Government, shall be applicable.

(2) The Personnel and Administrative Reforms Department shall be the competent department to interpret any rule of these Rules.

(3) If any difficulty arises in applying any rule of these Rules, the State Government by a notification published in Bihar Gazette, may remove such difficulty.

12. *Repeal.*—All circulars/instructions issued in respect of appointment/promotions of drivers shall be deemed to be repealed.

[3/R1-46/2000]

By order of the Governor of Bihar,
RAVI KANT
Secretary to Government.

बिहार सरकार, सचिवालय, राजनीय मंत्रालय, पटना द्वारा प्रकाशित, पटना द्वारा प्रकाशित संख्या

बिहार सरकार, सचिवालय, राजनीय मंत्रालय, पटना द्वारा प्रकाशित।

बिहार गजट (असाधारण); 20—मार्च—571—50—

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

॥ अधिसूचना ॥

सं०-3/आर1-46/2000-का०- 1468 /भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्तों) नियमावली, 2005 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:-

पटना-15, दिनांक- 25.4.07

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2007 कही जा सकेगी ।
(2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों तक रहेगा ।
(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।
2. बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्तों) नियमावली, 2005 के नियम-3 में संशोधन ।- उक्त नियमावली के नियम-3 में उप नियम (1) एवं उप-नियम (2) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जायेगा-
“(1) विभिन्न वेतनमानों में वाहन चालक के पदों का नामकरण निम्नानुसार होगा, जो दिनांक 8.11.96 के प्रभाव से लागू माना जायेगा-

- (i) रू० 3050-4590/- वाहन चालक (साधारण कोटि)
- (ii) रू० 4000-6000/- वाहन चालक (कोटि II)
- (iii) रू० 4500-7000/- वाहन चालक (कोटि I)
- (iv) रू० 5000-8000/- वाहन चालक (विशेष कोटि)

(2) विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या निम्नांकित अनुपात में रखी जायेंगी-

- (i) साधारण कोटि - (रू० 3050-4590/-) - 30 प्रतिशत
- (ii) कोटि II - (रू० 4000-6000/-) - 30 प्रतिशत
- (iii) कोटि I - (रू० 4500-7000/-) - 35 प्रतिशत
- (iv) विशेष कोटि - (रू० 5000-8000/-) - 05 प्रतिशत "

3. बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्तों) नियमावली, 2005 के नियम-9 में संशोधन ।- उक्त नियमावली के नियम-9 के उप नियम (1) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जायेगा -

“(1) साधारण कोटि (3050-4590) से उच्चतर कोटियों में निम्नांकित रूप में प्रोन्नतियाँ दी जा सकेंगी-

- (क) साधारण कोटि (3050-4590) से कोटि-II (4000-6000) में ।
- (ख) कोटि-II (4000-6000) से कोटि-I (4500-7000) में ।
- (ग) कोटि-I (4500-7000) से विशेष कोटि (5000-8000) में ।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सरयुग प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-3/आर1-46/2000-का0- 1468 /

पटना-15, दिनांक- 25.4.07


प्रतिलिपि : अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित ।


(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-3/आर1-46/2000-का0- 1468 /

पटना-15, दिनांक- 25.4.07

प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव


बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 25.4.07

सं०-3/आर1-46/2000-का० 1469 /अधिसूचना सं०- 1468 दिनांक- 25.4.07 के तहत निर्गत बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2007 का निम्नलिखित अंगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंगरेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।


बिहार राज्यपाल के आदेश से ..


(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-3/आर1-46/2000-का०- 1469 /

पटना-15, दिनांक- 25.4.07

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित ।


(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

Government of Bihar
Personnel & Administrative Reforms Department

NOTIFICATION

Patna-15, Dated- **25-4-07**

No.3/R1-46/2000- **1468** / In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby make the following Rules to amend the Bihar Drivers (Appointment & Service Conditions) Rules, 2005-

1. Short Name, Extent and commencement.- (1) These Rules may be called as the Bihar Drivers (Appointment & Service conditions) (Amendment) Rules, 2007.

(2) It shall extend to the Secretariat Departments, attached offices and mufasil offices at different levels of the State Government.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of rule 3 of the Bihar Drivers (Appointment and Service conditions) Rules, 2005.- The sub-rule (1) and sub-rule (2) of rule-3 of the said Rules shall be substituted by the following-

"(1) The nomenclature of posts of Drivers in different pay scales shall be as follows, which shall be deemed to be in effect from 8.11.96-

- (i) Rs. 3050-4590/ Driver (Basic Grade)
- (ii) Rs. 4000-6000/- Driver (Grade II)
- (iii) Rs. 4500-7000/- Driver (Grade I)
- (iv) Rs. 5000-8000/- Driver (Special Grade)

(2) The number of posts in the different grades shall be in the following ratio-

- (i) Basic Grade (3050-4590) - 30%
- (ii) Grade -II (4000-6000) - 30%
- (iii) Grade- I (4500-7000) - 35%
- (iv) Special Grade (5000-8000) - 05% "

3. Amendment of rule-9 of the Bihar Drivers (Appointment and Service Conditions) Rules, 2005.- The sub-rule (1) of rule 9 of the said Rules shall be substituted by the following-

(1) The promotions may be given from basic grade to higher grades in the following manner-

- (a) Basic Grade (3050-4590) to Grad-II (4000-6000)
- (b) Grade-II (4000-6000) to Grade-I (4500-7000)
- (c) Grade-I (4500-7000) to Special Grade (5000-8000)"

By order of the Governor of Bihar,

(Saryug Prasad)

Dy. Secretary to Govt.